

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

दिनांक 22.01.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 04 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से सोने चांदी के आभूषण व 52,000/- रू0 नगद बरामद—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-346/24, धारा 331(4),305 बीएनएस, मु0अ0सं0-347/24, धारा 331(4),305 बीएनएस व थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-08/25, धारा 331(4),305 बीएनएस से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोरो-01.करन पथरकट पुत्र नानमून, 02. अजय लोनिया उर्फ भोधू पुत्र स्व0 जगरनाथ चौहान, 03. बब्लू चौहान पुत्र गोमती चौहान, 04. रामकृपाल चौहान पुत्र ननकऊ चौहान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण व 52,000/- रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना छपिया के उ0नि0 जयहिन्द मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना के आधार पर बहदग्राम लखनीपुर पानी टंकी तिराहा के पास से 04 शातिर चोरो-01. करन पथरकट, 02. अजय लोनिया उर्फ भोधू, 03. बब्लू चौहान 04. रामकृपाल चौहान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 जोड़ी पायजेब, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी बिछुवा, 01 जोड़ी बाली, 01 अदद मांग का टीका, 01 जोड़ी झुमकी, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 जोड़ी पायल व 52,000/- रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु नकबजनी/चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं तथा चोरी से प्राप्त आभूषणों को नेपाल में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29.12.2024 की रात्रि में थाना धानेपुर के ग्राम लखनीपुर के एक घर में घुस कर सोने चांदी के जेवरात चोरी किये थे तथा दिनांक 31.12.2024 की रात्रि को थाना धानेपुर के ग्राम दूबे पुरवा बनगाई के एक घर में घुसकर सोने चाँदी के जेवरात चोरी किए थे तथा दिनांक 06.01.2025 की रात्रि में थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताबेपुर कठौआ के एक घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात व नगदी की चोरी की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. करन पथरकट पुत्र नानमून नि0 दत्तनगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अजय लोनिया उर्फ भोधू पुत्र स्व0 जगरनाथ चौहान नि0 ग्राम बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
03. बब्लू चौहान पुत्र गोमती चौहान नि0 ग्राम बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
04. रामकृपाल चौहान पुत्र ननकऊ चौहान नि0 ग्राम बबया रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0— 346 / 24, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0— 347 / 24, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0—08 / 25, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. करन पथरकट के कब्जे से — 01 जोड़ी पायजेब, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी बिछुवा, 01 जोड़ी बाली, 01 अदद मांग का टीका, 01 जोड़ी झुमकी, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 जोड़ी पायल व 17,800 /— रू0 नगद ।
02. अजय लोनिया के कब्जे से— 11,700 /— रू0 नगद ।
03. बब्लू चौहान के कब्जे से—12,300 /— रू0 नगद ।
04. रामकृपाल के कब्जे से—10,200 /— नगद ।

गिरफ्तारी का स्थान—

बहदग्राम लखनीपुर पानी टंकी तिराहा के पास से ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 जय हिन्द ।
02. उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा ।
03. हे0का0 आनन्द सिंह ।
04. हे0का0 मान सिंह ।
05. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव ।
06. का0 सतेन्द्र पाण्डेय ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।